

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : करतार सिंह पूनियां, आर०ए०एस०



न्याय निर्णयन आवेदन सं० 36/15

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

वनाम

मै. रेवाडी वर्फी, प्रो. रमेश कुमार पुत्र लालचन्द, मावा विक्रेता 24 ए पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)
एसएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक : 11.02.2017



सक्षेप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06-06-12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28-5-12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18-8-11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.01.2015 को 06:00 पी.एम. पर चैकिंग करने हेतु मै. रेवाडी वर्फी, प्रो. रमेश कुमार पुत्र लालचन्द श्रीगंगानगर मावा विक्रय कर रहा था, जो कि करीबन 08 कि.ग्रा. के आसापास मावा था, जो वास्ते विक्री बनाने हेतु रखा हुआ था। उसमें गिलावट का शक होने पर उसमें से 2 किलोग्राम मावा वर्फी वास्ते नमूना जांच संख्या के-487 चार साफ सूखे व खाली बर्तन में 500 ग्राम के हिसाब से लिया और खरीद शुदा मावा की कीमत अखरे रूपये 400/-श्री तिलकराज एवं शिवराम गवाह के सामने देकर रसीद प्राप्त की। श्री रमेश कुमार पुत्र लालचन्द को फार्म नं० 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है, जिसको पढ समझ कर सही मानकर श्री रमेश कुमार ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं० 5 की एक प्रति श्री रमेश कुमार को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा मावा को एकरूप करके चार साफ सूखी व खाली शीशीयों में बराबर-2 डालकर प्रत्येक शीशी में फार्मलीन की 40-40 बूँदें डालकर डॉट लगाकर लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं० के-487 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वयं ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर छिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा रिलिफ के-487 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से छिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बाँध कर चार-चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक सीलड शीशी पर श्री रमेश कुमार पुत्र लालचन्द के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सीलड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह श्री रमेश कुमार पुत्र लालचन्द के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने किये और इन चारों सीलड शीशीयों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं० 6 की सात प्रतियाँ तैयार की गईं और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जांच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं० के-487 की एक सील्ड शीशी को फार्म नं० 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के-487 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं० 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/44/एक्ट/2015/68 दिनांक 23.01.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-487 बर्फी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के अन्तर्गत अवमानक (सब - स्टैण्डर्ड) पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक 20613-14 दिनांक 1.2.2015 की पालना में अभियुक्त के विरुद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 1 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.12.2015 को प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुआ एवं जवाब पेश नहीं किया तथा निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से नरमी का रूख अपनाते हुए उसके प्रकरण का निर्णय कर दिया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री अशोक कुमार पुत्र कश्मीरी लाल लिया गया मावा का सैम्पल के-487 जाच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/44/एक्ट/2015/68 दिनांक 23.01.2015 द्वारा सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जाच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जाच के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk Fat Content of the finished product (on dry weight basis (Manual of method of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi) की value Not less than 30.0% होनी चाहिए थी, जबकि जाच अनुसार मावा में 19.99% पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया मावा का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) है।

फलस्वरूप, मै. रेवाडी बर्फी, प्रो. रमेश कुमार पुत्र लालचन्द, मावा विक्रेता 24 ए पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री रमेश कुमार पुत्र लालचन्द को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 5000/- (अखरे रुपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lans
11.2.17
(करतार सिंह पूनियां)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।